प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 969 /2025

गोपीचंद सर्विस स्टेशन दीपका तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सी. जी.) स्वामी गणेश राव वाघमारे के द्वारा पिता, गोपीचंद वाघमारे, लगभग 70 वर्ष , निवासी नागोराव शेष स्कूल जूना बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (सी. जी.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

कुश कुमार राठौर निवासी आर. एस. ऑटोमोबाइल, बजरंग चौक, हरदी बाजार, जिला–कोरबा (सी. जी.)

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--कोई नहीं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

पीठ पर आदेश

18/03/2025

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत आवेदन पर सुनवाई की गई।

2. यह याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा गोपीचंद सर्विस स्टेशन बनाम कुश कुमार राठौर के बीच अपंजीकृत दाण्डिक परिवाद प्रकरण में पारित दिनांक 28.12.2022 के आदेश के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके तहत परक्राम्य लिखत की धारा के तहत दायर परिवाद प्रकरण को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

3. प्रमुख प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि:– परिवादी/याचिकाकर्ता गोपीचंद सर्विस स्टेशन, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के नाम से ईंधन स्टेशन चला रहा है और इस प्रकार अपने आउटलेट से पेट्रोल और डीजल

बेचने का व्यवसाय करता है।अभियुक्त/उत्तरवादी परिवहन के व्यवसाय में भी लगा हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी को उत्तरवादी के स्वामित्व वाले वाहन में ईंधन की विक्रय के संबंध में ऋण सुविधा दी गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा खाता बनाए रखा गया था और समय–समय पर उत्तरवादी द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था, यह तथ्य स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी के बीच स्वस्थ व्यावसायिक संबंध हैं।पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए बकाया राशि 2,74,772/– रुपये की कानूनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए अभियुक्त/उत्तरवादी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड दीपका शाखा जिला कोरबा (छ.ग.) का चेक क्रमांक 072929 दिनांक 06.09.2022 जारी किया है।चेक की प्रति दिनांक 06.09.2022 है।याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक में अपने खाते में चेक प्रस्तुत किया तो 07.09.2022 को याचिकाकर्ता बैंक ने सूचित किया कि, चेक "अपर्याप्त निधि" के समर्थन के साथ चेक का अनादर किया गया था।याचिकाकर्ता यह जानकर हैरान रह गया कि उत्तरवादी ने उस खाते का चेक दिया है जिसमें अपर्याप्त धनराशि है, फिर याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य उपाय नहीं है, लेकिन उसने 16.09.2022 को पंजीकृत विधिक नोटिस भेजा, पंजीकृत नोटिस याचिकाकर्ता को इस समर्थन के साथ वापस प्राप्त हुआ कि नोटिस स्वीकार करने से "इनकार" किया गया है, जिसका अर्थ है कि नोटिस विधिवत तामील किया गया था क्योंकि उत्तरवादी के स्थायी पते पर पंजीकृत नोटिस विधिवत रूप से दिया गया था।फिर वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.) के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2022 को परिवाद दर्ज की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. फिर प्रकरण परिवाद के पंजीकरण से पहले बहस के लिए 05.11.2022 को तय होने के बाद और फिर मामला 25.11.2022 के लिए फिर 09.12.2022, 21.12.2022 और 28.12.2022 को निर्धारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के माध्यम से विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया और आदेश पत्र दिनांक 13.10.2022 से 09.12.2022 तक से स्पष्ट है कि यह पंजीकृत नहीं था और पंजीकरण से पहले बहस के लिए निर्धारित किया गया था।दिनांक 28.12.2022 को जब मामला पंजीकरण से पहले तर्क हेतु सुनवाई हेतु बुलाया गया था, याचिकाकर्ता का अधिवक्ता अपनी उपस्थिति को चिह्नित करने में विफल रहता है। यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को पंजीकरण से पहले तर्क हेतु निर्धारित तिथि की सूचना नहीं दी थी तथा जब मामला खारिज कर दिया गया था तो याचिकाकर्ता को भी इसकी जानकारी नहीं थी तथा क्योंकि जब मामला सुनवाई हेतु लिया गया था तो वह न्यायालय में मौजूद नहीं था तथा बार–बार याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता से संपर्क करने का प्रयास किया परंतु उसने जवाब नहीं दिया तो याचिकाकर्ता ने एक अन्य अधिवक्ता के माध्यम से मामले के बारे में पूछताछ की तथा 10.10.2024 पर याचिकाकर्ता को ज्ञात होता है कि मामला अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है तथा उसी दिन अर्थात 10.10.2024 ने पूरी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा वह तैयार था तथा 10.10.2024 पर वितरित किया गया तथा फिर वर्तमान याचिका दायर करने के पश्चात् अपंजीकृत आपराधिक मामले की बहाली अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी गई।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दायर अपंजीकृत दाण्डिक परिवाद अभियोजन के अभाव में, पूर्व संज्ञान चरण में खारिज कर दी गई और उसे उन्मोचित नहीं माना जाएगा, अपंजीकृत दाण्डिक परिवाद को अभियोजन के अभाव में केवल हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया और उसे उन्मोचित/दोषमुक्त नहीं माना जाएगा और इसलिए माननीय न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 (बीएनएसएस की नई धारा 528) का उपयोग करने हेतु आवश्यक है कि परिवाद को तकनीकी आधार पर अर्थात अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है। दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय XV के तहत कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 200 (बीएनएसएस की नई धारा 223)परिवाद की जांच से संबंधित है, दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 203 (बीएनएसएस की नई धारा 226) परिवाद को खारिज करने से संबंधित है, परिवादी और साक्षीयों के शपथ पर बयान पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट की राय में कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 204 (बीएनएसएस की नई धारा 227) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू होगी प्रक्रिया जारी करने से अर्थात कि मजिस्ट्रेट अपराध की आशंका लेता है, तत्काल वर्तमान मेंपरिवाद अभी तक पंजीकृत नहीं हुई है और न ही आशंका लेने से पहले परिवादी तथा साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अपंजीकृत आपराधिक मामले की बहाली के लिए वर्तमान याचिका 13.10.2022 को दायर कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने में वकील की गलती याचिकाकर्ता को मामले की योग्यता के आधार पर लड़ने से वंचित करने के समान है, वकील ने कार्यवाही में उपस्थित होने की अपनी अनुपलब्धता के बारे में सूचित नहीं किया है और याचिकाकर्ता ने अपने वकील से संपर्क किया क्योंकि उनकी ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, इसके बाद याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने के लिए एक अन्य वकील को नियुक्त किया, फिर उसने प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और फिर अभियोजन के अभाव में खारिज की गई अपंजीकृत आपराधिक शिकायत की बहाली के लिए तत्काल याचिका दायर करने के लिए बिलासपुर में वकील से संपर्क किया, देरी सद्भावनापूर्ण और अनजाने में हुई है। उन्होंने अंत में कहा कि विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रही कि वकील और याचिकाकर्ता की गैर–उपस्थिति सद्भावनापूर्ण थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की है कि यह माननीय न्यायालय कृपया इस याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें और जेएमएफसी, कटघोरा द्वारा पारित दिनांक 28.12.2022 के अभियोजन आदेश के अभाव में खारिज किए गए अपंजीकृत आपराधिक मामले को बहाल करने की कृपा करें और न्याय के हित में कानून के अनुसार अपने गुण–दोष के आधार पर निर्णय के लिए मामले को वापस भेज दें

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, कुछ हद तक समान तथ्यों के आधार पर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित है, अर्थात मोहम्मद अज़ीम बनाम ए वेंकटेश और अन्य (2002 (7) एससीसी 726)।उक्त निर्णय के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट

शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवादी की ओर से बचाव पक्ष के गवाह के निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के कारण परिवाद को खारिज करना अनुचित है।

8. यदि हम उक्त मामले के तथ्यों की तुलना वर्तमान मामले से करें तो यह ज्ञात होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को जन्म देने वाले तथ्य लगभग समान प्रकृति के हैं। वर्तमान याचिका में भी, यदि हम अभिलेख देखें तो यह ज्ञात होता है कि अभियोजन के अभाव में मामला खारिज कर दिया गया था।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने** भी यशवंत सिंह बनाम प्यारेलाल उइके [2010 (III) एमपीडब्ल्यूएन 102] में दिए गए निर्णय में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि परिवादी की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में पहली चूक के आधार पर परिवाद को खारिज करना अनुचित तथा अन्यायपूर्ण है।10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद अज़ीम (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अनुपात की सहायता लेते हुए और यशवंत सिंह के मामले (सुप्रा) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में, मेरे विचार में, वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश बहुत कठोर और तकनीकी प्रतीत होता है।

11. तदनुसार, वर्तमान अपील को स्वीकृति दि जाती है।गोपीचंद सर्विस स्टेशन बनाम कुश कुमार के मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा जिला– कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित दिनांक 28.12.2022 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित न होने के कारण दाण्डिक प्रकरण को अपास्त कर दिया गया था और मामले को दोनों पक्षों को बचाव का उचित अवसर देने के बाद गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. चूंकि दोनों पक्ष इस न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दोनों पक्ष, अर्थात परिवादी और अभियुक्त, 17.04.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे और विचारण न्यायालय मामले को उसी चरण से आगे बढ़ाएगा जिसके लिए पिछली दिनांक पर मामला निर्धारित किया गया था।

13. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान याचिका को स्वीकृति दी जाती है और तदनुसार निराकरण किया जाता है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur